

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 433/12

संस्थित दिनांक- 31.10.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार उम्र 34 साल
2. यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार उम्र 30 साल
3. राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार उम्र 39 साल
निवासीगण ग्राम पहाडपुर तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 20.03.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-294, 323/34, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09.10.2012 को सुबह 10:00 करीब ग्राम पहाडपुर में अंगूरी बाई को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व अंगूरी बाई व उसके पति हरबन को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में हरबन सिंह के साथ डंडों से व अंगूरी बाई को धारदार हथियार हसिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.2012 सुबह 10:00 बजे फरियादी अंगूरी बाई अपने खेत पर गई थी तभी वहा यशपाल, शंकर सिंह व राजकुमारी आ गये और बोले कि तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों कि है, जब फरियादी ने कहा कि तुमने

मुझे पीटा था इसलिए रिपोर्ट की है इसी बात पर से तीनों अभियुक्तगण गालिया देने लगे और झगडा करने पर उतारू हो गये, इतने में फरियादी का पति हरबान आया तो उसे भी अभियुक्त यशपाल ने डन्डा मारा जो दाहिने तरफ की पसली में लगा जिससे मुन्दी चोट आई, जब फरियादी अंगूरी बाई बचाने लगी तो राजकुमारी हाथ में हसिया लिये थी, जो उसने सिर में मारा जिससे सिर में लगा जिससे खून निकल आया। मौके पर सरोज, जहार सिंह थे।

03- फरियादी अंगूरी बाई अपने पति के साथ घटना दिनांक 09.10.2012 को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक-638/12 अंतर्गत 323, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। फरियादी अंगूरी बाई व हरबान सिंह का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी अंगूरी बाई को सिर में चोट होना व हरबान सिंह को मून्दी चोट की उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक-338/12 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा-324, 323, 504, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.03.17 को अंगूरी बाई (अ0सा0 1) व हरबान सिंह (अ0सा0 2) के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 09.10.2012 को सुबह 10:00 करीब ग्राम पहाडपुर में अंगूरी बाई के खेत पर अंगूरी बाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार हसिया से अंगूरी बाई को स्वेच्छया उपहति कारित की। ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष**

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण में हरबन सिंह (अ0सा0 1) व फरियादी अंगूरी बाई (अ0सा0 2) के कथन न्यायालय में कराये। फरियादी अंगूरी बाई (अ0सा0 2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि पांच वर्ष पूर्व घटना दिपावली के आसपास की है, सुबह के समय खेत पर आरोपीगण से उसके पति का विवाद हो गया था इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण पूर्व में रिपोर्ट के कारण उसके पति के साथ गाली गलौच कर रहे थे। जिस पर वह भी वहां पहुंची थी और अपने पति को साथ लेकर वहां से चली आई थी। इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण से उसका कोई विवाद नहीं हुआ तथा घटना के बाद वह अपने पति के साथ थाने पर रिपोर्ट करने आई थी।
- 07— फरियादिया अंगूरी बाई (अ0सा0 2) प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करती है। परन्तु इस साक्षी का कहना है कि प्र0पी0 1 में क्या लिखा है, उसे पता नहीं है। अंगूरी बाई (अ0सा0 2) अपने मुख्य परीक्षण में अपने पति से अभियुक्तगण का विवाद होना बताती है तथा अपने साथ घटना में आरोपीगण का कोई विवाद न होना बताती है। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार विवाद की शुरुआत अंगूरी बाई (अ0सा0 2) से हुई थी तथा बीच बचाव करने उसका पति आया था। अंगूरी बाई ने घटना में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं। फरियादी जो कि स्वयं आहत होकर घटना में फरियादी है, आरोपीगण से स्वयं का कोई विवाद ही न होना बताती है। अतः फरियादी अंगूरी बाई (अ0सा0 2) के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा लेख बद्ध करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में वर्णित घटना से मेल नहीं खाते।
- 08— घटना में अन्य आहत अंगूरी बाई (अ0सा0 2) का पति हरबन सिंह (अ0सा0 1) भी फरियादी के कथनों के सामान ही अपने न्यायालीन कथनों में आरोपीगण का अपने साथ विवाद होना बताता है तथा इस साक्षी का यह कहना है कि आरोपीगण ने उसकी पत्नी को भी गालिया दी थी। हरबन सिंह (अ0सा0 1) जो कि घटना में मुख्य साक्षी होकर आहत भी है अभियोजन कहानी के विपरीत अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि घटना में कोई मारपीट नहीं हुई थी, केवल मुंहवाद हुआ था तथा मुंहवाद की रिपोर्ट ही उसकी पत्नी ने थाने पर की थी। आरोपीगण ने फरियादी तथा उसके पति के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की इस संबंध में अंगूरी बाई (अ0सा0 2) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं।
- 09— फरियादी अंगूरी बाई (अ0सा0 2) एवं हरबन सिंह (अ0सा0 1) के द्वारा न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की ओर से इन दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु अंगूरी बाई (अ0सा0 2) व हरबन सिंह (अ0सा0 1) ने अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा ये दोनों ही साक्षी राजकुमारी के द्वारा अंगूरी बाई को हसिये से सिर पर उपहति कारित करने की घटना से

इन्कार करते हैं, इन दोनों ही साक्षियों के अनुसार अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की तथा थाने जाते समय मोटरसाइकिल से गिरने से उन्हें चोटें आई थी। अत यदि फरियादी के द्वारा ही इस बात की पुष्टि नहीं कि गई कि राजकुमारी ने उसे हसिये से सिर पर उपहति कारित की थी तथा दोनों ही साक्षी घटना में केवल मुंहवाद होना बताते हैं एवं चोटें मोटरसाइकिल से गिरने से आना बताते हैं तो इन साक्षियों के उपरोक्त कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 10- किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु इस प्रकरण में अभियोजन के मुख्य साक्षी एवं घटना में आहत बताये गये फरियादी अंगूरी बाई (अ0सा0 2) व हरबन सिंह (अ0सा0 1) के द्वारा अभियोजन घटना के विरुद्ध स्वयं के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना एवं घटना में स्वयं को चोट आने का खण्डन करने से अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 09.10.2012 को सुबह 10:00 करीब ग्राम पहाडपुर में अंगूरी बाई के खेत पर अंगूरी बाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार हसिया से अंगूरी बाई को स्वेच्छया उपहति कारित की थी।
- 11- फलस्वरूप अभियुक्तगण शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार, यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार, राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार, यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार, राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार को भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12- अभियुक्तगण शंकर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह परमार, यशपाल पुत्र सुल्तान सिंह परमार, राजकुमारी उर्फ राजेश राजा पत्नी देवी सिंह परमार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य हीन होने से नष्ट कि जावे व अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)